प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.08.2026

स्वाट/सर्विलाँस टीम नगर जोन एवं थाना कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर कूटरचित पालिसी बनाकर साइबर फ्रॉड करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 03 सदस्य गिरफ्तार, 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 15,000/- रुपये नगद व मारुति बलेनो कार बरामद, कुल 2.5 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की घटनाओं से सम्बन्धित 4 राज्यों की 9 घटनाओं का अनावरण।

साइबर सेल, थाना कोतवाली टीम गाजियाबाद द्वारा फोन पर विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर कूटरचित पॉलिसी बनाकर साइबर फ्रॉड करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के सदस्य अभियुक्त पंकज शर्मा पुत्र स्व0 उपेन्द्र शर्मा, आदित्य यादव उर्फ मोनू पुत्र महेन्द्र यादव एवं प्रमोद हरीश चन्द्र छेबड़े पुत्र हरीश चन्द्र छेबड़े को साइबर अपराध में प्रयुक्त 05 अदद मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, मारुति बलेनो कार के साथ थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तों द्वारा 2.5 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है एवं 4 राज्यों की 9 घटनाओं का अनावरण किया गया है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि पहले पंकज शर्मा, नितिन कसाना तथा आदित्य यादव एक साथ इंश्योरेन्स पॉलिसी ब्रोकिंग कम्पनी हेक्सर इंश्योरेन्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी नोएडा में कॉलिंग का काम करते थे, 2022 से ये लोग मिलकर इंश्योरेन्स पॉलिसी डाटा से लैप्स होने वाली इंश्योरेन्स पॉलिसी के कस्टमर के मोबाइल नम्बर निकालकर उन्हें कॉल कर उनसे पॉलिसी के नाम पर साइबर फ्रॉड के लिये प्राप्त किये गये बैंक खातों में पैसे जमा करवाते थे। चूँकि इनके पास इंश्योरेन्स पॉलिसी का डाटा होता था इसलिये ये लोगों को आसानी से विश्वास दिला देते थे। ये लोग साइबर ठगी के दौरान पॉलिसी की कूटरचित रसीद आदि अपने लैपटॉप से PicsArt एप के माध्यम से तैयार कर तथा इंश्योरेन्स कम्पनी के कर्मचारी का आई कार्ड गूगल से डाउनलोड कर उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिये उनके व्हाट्सअप पर भेजते थे। आदित्य यादव इंश्योरेन्स **एजेन्ट** अनुराग तिवारी बनकर, पंकज शर्मा इंश्योरेन्स एजेन्ट वरुन मिश्रा बनकर तथा प्रमोद हरीश चन्द्र छेबड़े इंश्योरेन्स एजेन्ट राहुल राठौर बनकर लोगों को साइबर ठगी के लिये कॉल करता था। इन लोगों को साइबर फ्रॉड के लिये इंश्योरेन्स कम्पनी का डाटा तथा बैंक खाता नितिन कसाना उपलब्ध कराता था। नितिन कसाना पूर्व में साइबर अपराध के मामले में मुम्बई से जेल जा चुका है।

अभियुक्तों के पास से बरामद अभिलेखों/साक्ष्यों से अनिल जैन निवासी हबीब गंज भोपाल के साथ 66,000/- रुपये, जीवन पाटिल निवासी चिखाली, पिम्परी चिंचवाड़ महाराष्ट्र के साथ 12.5 लाख रुपये, साइमन सी थॉमस इन्दिरा नगर बंगलुरु के साथ 1.12 करोड़ रुपये, शर्मिला लोबो निवासी मुम्बई महाराष्ट्र के साथ 2 लाख रुपये, गणपत महादेव गुवाड़े निवासी महाराष्ट्र के साथ 6.7 लाख रुपये, समीर रविन्द्र केलुस्कर निवासी महाराष्ट्र के साथ 8 लाख रुपये, धर्मेश व कर्मवीर निवासी उत्तर प्रदेश के साथ 30-30 हजार रुपये के साइबर फ्रॉड की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। इनके पास से काफी लोगों के नाम पर बने दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसके आधार पर अन्य घटनाओं का पता लगाया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. पंकज शर्मा पुत्र स्व0 उपेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम नान थाना हाफिजपुर जनपद हापुड हाल पता फ्लैट सं0 1004 ग्राउण्ड फ्लोर सेक्टर 02 वेव सिटी थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष
2. आदित्य यादव उर्फ मोनू पुत्र महेन्द्र यादव निवासी नान थाना हाफिजपुर जनपद हापुड हाल पता फ्लैट नं0 302 टावर नं0 09 ड्रीम होम सोसाइटी वेव सिटी थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष
3. प्रमोद हरीश चन्द्र छेबड़े पुत्र हरीश चन्द्र छेबड़े निवासी गनेश चौल कमरा सं0 14 नियर अनुषमेरा बिल्डिंग एनजी आचार्य मार्ग चेम्बूर मुम्बई हाल पता फ्लैट संख्या 302 टावर 9 ड्रीम होम्स सोसाइटी वेव सिटी थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी स्थान - थाना क्षेत्र कोतवाली, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण - 05 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 15,000/- रुपये नगद व मारुति बलेनो कार बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- स्वाट/सर्विलाँस टीम नगर जोन एवं थाना कोतवाली टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 40 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 05.08.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त **विपिन सैनी पुत्र राज सिंह** निवासी राजपुर गेट के सामने वाली गली, ग्राम असालतपुर फर्रुखनगर, थाना टीलामोड़, जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष को ग्राम भनैड़ा की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर झाड़ियों के बीच से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **01 किलो 40 ग्राम अवैध गांजा** बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना टीलामोड़ पर एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वह किराये पर ऑटो चलाता है। ऑटो चलाने के दौरान वह दिल्ली से गांजा खरीदकर लाता है तथा राह चलते लोगों को बेचकर अवैध रूप से धन अर्जित करता है। जिससे वह गांजा खरीदकर लाता है, उसका नाम व पता उसे ज्ञात नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विपिन सैनी पुत्र राज सिंह निवासी राजपुर गेट के सामने वाली गली, ग्राम असालतपुर फर्रुखनगर, थाना टीलामोड़, जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 किलो 40 ग्राम अवैध गांजा।
- घटना में प्रयुक्त 01 थ्री-व्हीलर गुड्स कैरियर ऑटो।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अभियोग के अतिरिक्त कोई अन्य अभियोग पंजीकृत नहीं है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक 14.07.2026 को वादिनी द्वारा थाना लिंक रोड पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त **लल्लू पुत्र पप्पू** बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंक रोड पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पीड़िता की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.08.2026 को पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.08.2026 को अभियुक्त लल्लू को कौशाम्बी बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण एवं बयान के आधार पर अभियोग में धारा 64(एम) बीएनएस एवं धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वह पीड़िता को पूर्व से जानता था। पीड़िता अपने रिश्तेदारी में आई हुई थी, जहां उसकी अभियुक्त से जान-पहचान हुई। इसके बाद उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा दोनों पहले लखनऊ और उसके बाद राजस्थान चले गए। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उससे गलती हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

लल्लू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम टंडियाव, थाना कोपागंज, जनपद मऊ, उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त लल्लू के विरुद्ध उक्त अभियोग के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा अवैध रुप से नशे का कारोबार करने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार, कब्जे से करीब 4.5 किलो अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 05.08.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध रुप से नशे का कारोबार करने वाले 02 अभियुक्तगण नितिन पुत्र शेरसिंह निवासी 558 गली नं0 14कैलाश नगर विजयनगर गाजियाबाद व जतिन माहोर पुत्र दीपचन्द माहोर निवासी 117 सराय नजरअली गऊशाला फाटक पीर के पास थाना कोतवाली गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से करीब 4.5 किलो अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त 1 स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्वयाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया कि साहब यह गांजा मै दिल्ली से लाया था वहाँ एक व्यक्ति मुझे गांजा देकर चला जाता है लेकिन उसने अपना नाम पता कभी नही बताया और दिल्ली में भी जगह बदल बदल कर बुलाता है व स्कूटी के बारे मे पूछने पर बताया कि साहब ये स्कूटी मेरे दोस्त की है जिसका नाम नितिन गुप्ता पुत्र सोराजवीर गुप्ता निवासी म0नं0 694 गांधी चौक कैलाश नगर गा0बाद है उक्त स्कूटी के रजि0 नं0 को ई चलान एप पर सर्च किया गया तो मालिक का नाम नितिन गुप्ता पुत्र सोराजवीर गुप्ता निवासी म0नं0 694 गांधी चौक कैलाश नगर गा0बाद है। गांजा को मैं छोटी-छोटी पॉलीथीन में डालकर नशाखोर लोगों को मंहगे दामों पर बेचता हूँ व होने वाले मुनाफे से अपना व अपने परिवार का गुजारा व अपनी शोक मोज करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. नितिन पुत्र शेरसिंह निवासी 558 गली नं0 14कैलाश नगर विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
2. जतिन माहोर पुत्र दीपचन्द माहोर निवासी 117 सराय नजरअली गऊशाला फाटक पीर के पास थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 4.5 किलो अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त सम्बन्ध में थाना खोडा में 01 अभियोग पंजीकृत है। अभि0 नितिन व जतिन के विरुद्ध गाजियाबाद में धोखाधड़ी व गैंगस्टर एक्ट के 03 मुकदमें पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना खोडा पुलिस टीम।